

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(6855)सूप्रौ/संस्था/16/ 01140/2019

जयपुर, दिनांक: 29/03/19

कार्यालय-आदेश

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के पत्र क्रमांक 14197-396 दिनांक 27.03.2019 के द्वारा जारी आदेश में ऑनलाईन बिलों का भुगतान हेतु कोष / उपकोष कार्यालय दिनांक 30.03.2019 एवं 31.03.2019 को भी सामान्य कार्य व्यवहार करेंगे (संलग्न)।

अतः विभागीय ग्रुप के प्रभारी अधिकारियों / प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 के बकाया बिलों के भुगतान हेतु दिनांक 30.03.2019 एवं 31.03.2019 तक लम्बित/बकाया बिलों के भुगतान से संबंधित समस्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

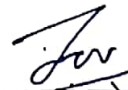


(बी.एस.नाथावत)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 3 वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 4 समस्त प्रभारी अधिकारी, परियोजना।
- 5 प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
- 6 रक्षित पत्रावली।



तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/14157-396 दिनांक 27.3.19

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय:- दिनांक 30.03.2019 एवं 31.03.2019 को कोषालयों/
उपकोषालयों द्वारा पारित किए जाने वाले ऑनलाइन
भुगतानों के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का पूर्व पत्रांक 13587-13752 दिनांक
19.03.2019 एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश दिनांक
26.03.2019

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समस्त एजेन्सी बैंकों को दिए गए
दिशा-निर्देशों के क्रम में पूर्व में इस विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा जारी विस्तृत
दिशा-निर्देशों की निरन्तरता में तथा उल्लेखित समयावधि में कोष/उपकोष
कार्यालय दिनांक 30.03.2019 एवं 31.03.2019 को भी सामान्य कार्य व्यवहार
सम्पादित करेंगे तथा समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/पी.डी. खाता
धारकों/निर्माण खण्डों के बिल/पी.डी. भुगतान एडवाइस का निस्तारण
नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मैनुअल राजस्व प्राप्तियों हेतु एजेन्सी बैंकों की डेजीगनेटेड शाखाएँ
दिनांक 30.03.2019 को 8.00 बजे तक व दिनांक 31.03.2019 को 6.00 बजे तक
खुली रहेगी। अतः उक्तानुसार कार्यवाही हेतु समस्त आहरण वितरण
अधिकारियों/अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जावे।


(आशुतोष वाजपेयी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/ 14197-236 दिनांक 27.3.19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. उपशासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर
4. कोषाधिकारी, समस्त
5. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर
6. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
7. सहायक उपमहाप्रबन्धक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
8. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।
9. उपमहाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर
10. मुख्य प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यू.पी.एस.सी. बिल्डिंग, नई दिल्ली।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग सचिवालय जयपुर को वित्त विभाग की साईट पर अपलोड किए जाने हेतु।



संयुक्त शासन सचिव